छत्तीसगढ शासन

कौशल विकास, तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार विभाग

संचालनालय रोजगार एवं प्रशिक्षण 'रोजगार पक्ष'

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005
धारा 4 की उपधारा 1 (ब) के अनुसार मेनुअल
(31.07.2021) की स्थिति

सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत धारा 4 के उपधारा 1 (ब) के अनुसार मैनुअल

विभागीय बेबसाइट :– www.cgemployment.gov.in

प्रस्तावना

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 महामहिम राष्ट्रपति की स्वीकृति दिनांक 15 जून 2005 उपरांत एवं भारत के राजपत्र असाधारण भाग–2 खण्ड– 1 पार्ट –II अनुभाग 1, नई दिल्ली, 21 जून 2005 के प्रकाशन उपरांत संपूर्ण देश में लागू हो गया है।

यह अधिनियम अपने संपूर्ण प्रावधानों के साथ 12 अक्टूबर 2005 से संपूर्ण देश में क्रियाशील है। इस अधिनियम का उद्देश्य प्रत्येक लोक प्राधिकारी के क्रियाकलाप में पारदर्शिता और जबाबदेही को सुनिश्चित करते हुए प्रत्येक लोक प्राधिकारियों के नियंत्रण के अधीन उपलब्ध सूचना तक देश के प्रत्येक नागरिक की पहुंच सुनिश्चित करना है जिससे सरकार के प्रति जनविश्वास की स्थापना एवं जनभागीदारी की भावना यथार्थ में मूर्तरूप ले सके।

छत्तीसगढ़ शासन के कौशल विकास, तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार विभाग अंतर्गत स्थापित प्रदेश की रोजगार सेवा संगठन के समस्त कार्यालयों में सूचना का अधिकार अधिनियम के प्रावधान लागू है। जिसमें संचालनालय, रोजगार एवं प्रशिक्षण (रोजगार पक्ष) रायपुर, के अतिरिक्त समस्त 29 जिलो के रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन कन्द्रों, 3 प्रवर्तन कक्षो (रायपुर, बिलासपुर एवं जगदलपुर में स्थापित) तथा जगदलपुर में कार्यरत अनुसूचित जाति जनजातियों के अध्ययन सह मार्गदर्शन केन्द्र शामिल है। आम जनता की सुविधा के लिये विभाग से संबंधित समस्त सूचनाऐं विभागीय वेबसाइट www.cgemployment.gov.in पर उपलब्ध है।

1.संगठन की विशिष्टियां, कृत्य एवं कर्तव्य

प्रदेश में रोजगार सेवा संगठन का कार्य अपने अधिकार क्षेत्र के विभिन्न कार्यालयों के माध्यम से रोजगार इच्छुकों को सम्यक रोजगार सहायता उपलब्ध कराना है। प्रदेश की रोजगार सेवा मूलतः राष्ट्रीय रोजगार सेवा के नियमों अधिनियमों के अन्तर्गत ही कार्यों का संपादन करती है, साथ ही रोजगार सेवा की कतिपय गतिविधियाँ राज्य शासन के निर्देशों, नीतियों के अनुसार भी संचालित की जाती है। प्रदेश के रोजगार सेवा के कृत्य एवं कर्तव्यों को मुख्यतः दो स्तरों पर विभक्त किया जा सकता है, प्रथम संचालनालय स्तर पर तथा अधीनस्थ कार्यालयो के स्तर पर। जहां संचालनालय द्वारा अधीनस्थ कार्यालयों का अनुरक्षण, पर्यवक्षण, प्रशासनिक नियंत्रण एवं रोजगार सेवा विषयक नीति निर्माण प्रक्रिया में शासन से सहभागिता जैसे कार्य संपादित किये जाते है, वहीं रोजगार सेवा के मैदानी कार्यालय रोजगार इच्छुकों के पंजीयन, नवीनीकरण, प्रस्तुतीकरण, मार्गदर्शन, रोजगार बाजार सूचना का एकत्रीकरण, व्यावसायिक मार्गदर्शन , रोजगार मेलों का आयोजन जैसे कार्यों को वास्तवित रूप से संपादित करता है। प्रदेश के रोजगार सेवा संगठन अन्तर्गत विभिन्न कार्यालयो के मुख्य कृत्य निम्नलिखित हैः–

संचालनालय स्तर पर संपादित कार्य :–

1. अधिनस्थ कार्यालयों का पर्यवेक्षण, प्रशासनिक नियंत्रण एवं रोजगार सेवा विषयक नीति निर्माण में शासन से सहभागिता।
2. मैदानी कार्यालयो से प्राप्त सांख्यिकी विवरणियों के अध्ययन द्वारा जनशक्ति संबन्धी आयोजना का पूर्वानुमान तैयार करना।
3. रोजगार सेवा संगठन अधिकारी/कर्मचारियों के कल्याण संबन्धी कार्य।
4. रोजगार सेवा में आधुनिकीकरण के कारण अधिकारियों/कर्मचारियों के सतत् प्रशिक्षण की व्यवस्था।
5. विभाग के अन्तर्गत लागू योजनाओं का अधीनस्थ कार्यालयों के माध्यम से क्रियान्वयन।
6. विभागीय गतिविधियों एवं योजनाओं विषयक नीतिगत निर्णय में शासन को आवश्यक जानकारियों का प्रेषण तथा अधीनस्थ कार्यालयो के कार्यों का पर्यवेक्षण, निरीक्षण।
7. रोजगार सेवा संगठन के सुचारू संचालन हेतु शासन से बजट की मांग, तथा मैदानी कार्यालयों हेतु बजट आबंटन, व्यय नियंत्रण एवं अन्य प्रशासनिक नियंत्रण संबंधी कार्य।
8. शासन से प्राप्त विभिन्न निर्देशों को मैदानी कार्यालयों हेतु प्रसारित करना तथा निर्देशों का पालन सुनिश्चित करना। इस प्रकार शासन एवं मैदानी कार्यालयों के मध्य कड़ी का कार्य करना।

रोजगार सेवा के मैदानी कार्यालयों द्वारा संपादित कार्य

1. रोजगार सहायता के इच्छुकों का पंजीयन।
2. पूर्व में पंजीकृत आवेदकों के पंजीयन का नवीनीकरण।
3. नियोजकों द्वारा अधिसूचित रिक्तियों के विरुद्ध योग्य आवेदकों का प्रस्तुतीकरण।
4. रोजगार बाजार सूचना के एकत्रीकरण के द्वारा अवसरों का विश्लेषण।
5. रोजगार बाजार सूचना सहित समस्त सांख्यिकी विवरणी तैयार कर संचालनालय एवं महानिदशालय को प्रेषण।
6. प्रर्वतन कक्ष एवं जिला रोजगार कार्यालय के माध्यम से (रिक्तियों कीअनिवार्य अधिसूचना) अधिनियम 1959 के उपबन्धो का क्रियान्वयन हेतु आवश्यक उपाय करना।
7. रोजगार इच्छुकों को व्यावसायिक मार्गदर्शन और रोजगार परामर्श प्रदान करना।
8. निजी क्षेत्र के प्रतिष्ठानों में रोजगार के अवसर बढाऩे हेतु रोजगार मेलों का आयोजन करना।
9. अध्यापन सह मार्गदर्शन केन्द्र जगदलपुर द्वारा अनुसचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के आवेदकों के लिए प्रशिक्षण एवं मार्गदर्शन के व्यवस्था करना।
10. भारतीय सैन्य बलों में भर्ती हेतु भर्ती पूर्व प्रशिक्षण प्रदान करना।

2 अधिकारियों एवं कर्मचारियों की शक्तियॉ एवं कर्तव्य शक्तियॉ संचालक –

प्रशासकीय शक्तियॉ –

1. राज्य लोकसेवा आयोग से की जाने वाली नियुक्तियों को छोड़कर रोजगार सेवा अन्तर्गत अन्य समस्त प्रकार की नियुक्ति संबन्धी अधिकार ।
2. राज्य रोजगार सेवा संगठन के समस्त कार्यो पर नियंत्रण, अनुरक्षण एवं पर्यवेक्षण की शक्ति ।
3. शासन की नीति के अनुसार सेवा के अधिकरी/कर्मचारी की पद्स्थापना एवं स्थानांतरण विषयक शक्ति।
4. छतीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966, छत्तीसगढ़ सिविल स़ेवा आचरण नियम 1965, छत्तीसगढ अवकाश नियम एवं छत्तीसगढ़ मूलभूत नियम में निहित प्रावधानों के अंतर्गत विभाग प्रमुख के प्रदत्त अधिकारों के तहत कार्यवाही करने का अधिकार ।
5. सी.एन.व्ही एक्ट 1959 के प्रावधानों को राज्य में लागू करने का अधिकार।
6. सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत संचालनालय स्तर कें प्रकरण के लिए प्रथम अपीलीय अधिकारी की शक्ति।

वित्तीय शक्तियॉ :–

छत्तीसगढ़ वित्तीय संहिता भाग–1 एवं 2, छत्तीसगढ़ वित्तीय शक्तियां पुस्तिका भाग –1 एवं 2 छत्तीसगढ़ कोषालय सहिता भाग 1 एव 2 तथा छत्तीसगढ़ भंडार क्रय नियम में निहित प्रावधानों के अंतर्गत विभाग प्रमुख को प्रदत्त समस्त अधिकार ।

संयुक्त संचालक

प्रशासकीय शक्ति :–

1. संयुक्त संचालक (रोजगार) संचालनालय रोजगार एवं प्रशिक्षण अन्तर्गत रोजगार प्रभाग के लिए शासन द्वारा कार्यालय प्रमुख घोषित है। अतः संयुक्त संचालक रोजगार को संचालनालय स्तर पर रोजगार सेवा के अधीनस्थ कर्मचारियों के लिए कार्यालय प्रमुख के रुप में शासन द्वारा प्रदत्त शक्तियों को लागू करने का अधिकार है।
2. सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत मैदानी कार्यालयो के लिए प्रथम अपीलीय अधिकारी की शक्ति।
3. संचालक द्वारा प्रत्यायोजित अन्य शक्तियॉ।

वित्तीय शक्तियॉ :–

संचालनालय रोजगार एवं प्रशिक्षण के रोजगार पक्ष हेतु कार्यालय प्रमुख एवं आहरण संवितरण अधिकारी के रूप मे छत्तीसगढ़ वित्तीय संहिता भाग –1 एवं 2, छत्तीसगढ़ वित्तीय शक्तियां पुस्तिका भाग –1 एवं 2 छत्तीसगढ़ कोषालय सहिता भाग 1 एव 2 तथा छत्तीसगढ़ भंडार क्रय नियम में निहित प्रावधानों के अंतर्गत कार्यालय प्रमुख को प्रदत्त समस्त अधिकार ।

उप संचालक, रोजगार

संचालनालय स्तर पर :–

विभाग प्रमुख के रूप मे संचालक, रोजगार एवं प्रशिक्षण, छ0ग0 द्वारा प्रत्यायोजित शक्तियॉ।

सहायक संचालक / शोध अधिकारी / प्रोग्रामर :–

विभाग प्रमुख के रूप मे संचालक रोजगार एवं प्रशिक्षण, छ0ग0 द्वारा प्रत्यायोजित शक्तियॉ।

कर्तव्य (कार्य विवरण)

संचालनालय स्तर पर –

सहायक संचालक /शोध अधिकारी :–

संचालक एवं वरिष्ठ अधिकारी द्वारा समय – समय पर सौंपे गये कार्यों का निर्वहन।

प्रोग्रामर :–

रोजगार कार्यालयों के कम्प्यूटरीकरण हेतु विभिन्न कार्यालयो की अद्योसंरचना का पर्यवेक्षण एवं अनुरक्षण, सभी रोजगार कार्यालयों मे कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर स्थापित कराने का कार्य, सम्पूर्ण राज्य मे रोजगार कार्यालय के कम्प्यूटरीकरण के सुचारू सचालन का कार्य ।

अधीक्षक :–

संचालनालय के लिपिकीय कर्मचारियों का पर्यवेक्षण एवं उनके कार्यों का सुचारू रूप से संचालन तथा समय–समय पर वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा सौंपे गये कार्यों का निर्वहन ।

सहायक सांख्यिकीय अधिकारी :–

राज्य स्तरीय रोजगार बाजार सूचना शाखा से संबधित समस्त आंकड़ो एवं विवरणियो का संकलन, संग्रहण एवं विश्लेषण तथा एकजाई प्रतिवदन का प्रस्तुतीकरण ।

सहायक प्रोग्रामर :–

राज्य के रोजगार कार्यालयों की कम्प्यूटरीकरण के सचारू संचालन मे प्रोग्रामर के सहयोग का कार्य।

सहायक ग्रेड –1 :–

उपसंचालक मुख्यालय एवं वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा सौपें गये कार्य।

सहायक ग्रेड –2 :–

उपसंचालक मुख्यालय एवं वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा सौपें गये कार्य।

सहायक ग्रेड –3 :–

उपसंचालक मुख्यालय एवं वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा सौपें गये कार्य ।

डाटा एण्ट्री आपरेटर :–

राज्य के रोजगार/स्वरोजगार संबंधी आंकडों को कम्प्यूटर में फीडिंग का कार्य एवं संचालनालय के विभिन्न दैनिक कार्यां को कम्प्यूटर द्वारा संचालित करने का कार्य।

वाहन चालक :–

वाहन चालन तथा वाहन का रखरखाव।

भृत्य :–

वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा सौपें गये कार्य।

मैदानी स्तर के कार्यालयों के लिए

पद नाम :–उपसंचालक/जिला रोजगार अधिकारी/रोजगार अधिकारी

शक्तियां

I – प्रशासकीय शक्तियां

1.कार्यालय प्रमुख के रूप में कार्यालय की गतिविधियों का नियंत्रण, अनुश्रवण एवं पर्यवेक्षण

2.तृतीय श्रेणी एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के नियुक्तिकर्ता अधिकारी के रूप में समस्त अनुशासनात्मक अधिकार ।

3.संचालक, रोजगार एवं प्रशिक्षण द्वारा समय–समय पर उपसंचालक/ जिला रोजगार अधिकारी/रोजगार अधिकारी को प्रत्यायोजित विभिन्न शक्तियां।

II– वित्तीय शक्तियां

1 कार्यालय प्रमुख के रूप में उपसंचालक / जिला रोजगार अधिकारी/ रोजगार अधिकारी को छत्तीसगढ़ शासन की वित्तीय संहिता, कोषालय संहिता, वित्तीय अधिकार नियम एवं भ्रंडार क्रय नियम के अंतर्गत प्रदत्त समस्त शक्तियां ।

कर्तव्य

उपसंचालक / जिला राजगार अधिकारी /रोजगार अधिकारी कार्यालय प्रमुख के रूप में उपर्युक्त पैरा में दर्शाए गए शक्तियों को अपने कार्यालय एवं क्षेत्राधिकार में क्रियान्वयन करने का दायित्व निभाता है।

पद नाम :– कनिष्ठ रोजगार अधिकारी

कर्तव्य एवं शक्तियां — कार्यालय प्रमुख द्वारा समय समय पर प्रत्यायोजित शक्तियों के अंतर्गत अपना कार्य करना।

पद नाम :– सहायक ग्रेड 1

कर्तव्य एवं शक्तियां — कार्यालय प्रमुख के निर्देशों के अधीन लेंखा एवं स्थापना अनुभाग के दायित्वों का निर्वहन तथा कार्यालय प्रमुख द्वारा समय–समय पर सौंपे गये अन्य कर्तव्यों का निर्वहन ।

पद नाम :– सहायक ग्रेड 2

कर्तव्य एवं शक्तियां — जिन कार्यालयों में सहायक ग्रेड 1 का पद स्वीकृत नहीं है वहां सहायक ग्रेड उपर्युक्त पैरा में सहायक ग्रेड 1 के लिए उल्लेखित दायित्वों का निर्वहन करेगा । यदि कार्यालय में सहायक ग्रेड 1 का पद स्वीकृत है तो सहायक ग्रेड 2 कार्यालय प्रमुख द्वारा सौंपें गये अन्य दायित्वों का निर्वहन करेगा ।

पद नाम :– सहायक ग्रेड 3

कर्तव्य — रोजगार कार्यालय की विभिन्न शाखाओं जैसे – पंजीयन, नवीनीकरण, जीवित पंजी का रखरखाव, रोजगार बाजार सूचना शाखा, रिक्ति शाखा, व्यावसायिक मार्गदर्शन शाखा, आवक–जावक शाखा इत्यादि में कार्यालय प्रमुख द्वारा समय–समय पर सौंपे गये समस्त दायित्वों का निर्वहन।

पद नाम :– भृत्य/स्वीपर/अशकालीन स्वीपर

कर्तव्य — कार्यालय में शासन द्वारा निर्धारित परंपरागत कर्तव्यों का निर्वहन करना जैसे – साफ–सफाई, कार्यालयीन डाकों का वितरण इत्यादि ।

पद नाम :– चौकीदार

कर्तव्यः– — कार्यालय समयावधि के उपरांत एवं कार्यालय प्रारंभ होने के समय तक तथा अवकाश के दिवसो में शासकीय संपत्ति की सुरक्षा का दायित्व।

3: निर्णय लेने की प्रक्रिया

संचालनालय स्तर पर

1. रोजगार कार्यालय (रिक्तियां की अनिवार्य अधिसूचना) अधिनियम 1959 में निहित प्रावधानों का उल्लंघन होने पर अग्रिम कार्यवाही के निर्णय का अधिकार संचालक को है। इस अधिनियम की धाराओं का उल्लंघन होने पर रोजगार कार्यालयों के सक्षम प्राधिकारी के निरीक्षण उपरांत उल्लंघन करने वाले संस्थान के विरूद्व अग्रिम कार्यवाही हेतु संचालक के समक्ष प्रकरण का प्रस्तुतीकरण किया जाता है। तदोपरांत संचालक द्वारा अग्रिम कार्यवाही की जाती है ।

2. भारत सरकार के महानिदेशक रोजगार एवं प्रशिक्षण के अधीन वर्किंग ग्रुप एवं संचालक द्वारा समय –समय पर बैठक के माध्यम से रोजगार सेवा की कार्यप्रणाली में सुधार एवं परिवर्तन के निर्णय लिये जाते हैं ।

3. समय–समय पर मैदानी कार्यालयों में आवश्यक सुधार हेतु संचालक द्वारा निर्णय लिए जाते हैं।

4.युवा क्षमता विकास योजना

प्रदेश में युवाओं की क्षमता के विकास तथा युवा वर्ग को स्वरोजगार की ओर प्रेरित करने हेतु यह आवश्यक है कि राज्य के युवाओं को शिक्षण, प्रशिक्षण एवं भर्ती प्रक्रियाओं एवं ऋण अदायगियों में ऐसी कुछ सुविधा प्राप्त हो जिससे वह अपने विकास के राह में आने वाली बाधाओं को सहजता से पारकर अपनी क्षमता का विकास कर सकें। इसी उद्‌देश्य को दृष्टिगत कर राज्य सरकार ने प्रदेश के युवाओं की क्षमता में वृद्वि करने के लिए ''युवा क्षमता विकास योजना'' प्रारंभ की गई है। योजनान्तर्गत निम्नानुसार प्रावधान है–

(क) प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना के हितग्राहियों को प्रचलित ब्याज दर में प्रथम वर्ष के लिए 6 प्रतिशत की छूट।

(ख) व्यापम द्वारा आयोजित सभी प्रवेश तथा भर्ती परीक्षाओं के शुल्क में रू. 100 प्रति परीक्षार्थी की दर से छूट।

(ग) शासकीय आई.टी.आई. में अध्यनरत छात्रों के शिक्षण शुल्क (अ.जा./अ.ज.जा. छात्रों को छोडकर शेष छात्रों द्वारा देय रू. 1000/– प्रतिवर्ष) तथा परीक्षा शुल्क (रू. 100 प्रति छात्र प्रति सेमेस्टर) मे 50 प्रतिशत की छूट।

(घ) स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय, भिलाई के द्वारा आयोजित डिप्लोमा, स्नातक तथा स्नात्कोत्तर परीक्षाओं (बैंक पेपर्स को छोडकर) के परीक्षा शुल्क (लगभग रू. 800 प्रति सेमेस्टर) में 50 प्रतिशत की छूट।

मैदानी स्तर पर

कार्यालय की विभिन्न गतिविधियों के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया एवं मानदण्ड निम्नानुसार हैं :–

- **पंजीयन** :– रोजगार सहायता के इच्छुक आवदकों का पंजीयन कार्यालय द्वारा किया जाता है। इसके लिए आवेदक अपने समस्त शैक्षणिक प्रमाण– पत्रो की मूल प्रतियों के साथ तथा अन्य प्रमाण पत्रों यथा जाति, निवास, जिला मेडिकल बार्ड द्वारा जारी विकलांग प्रमाण पत्र इत्यादि सहित कार्यालय में स्वयं उपस्थित होता है। वर्तमान पंजीयन सुविधा ऑन लाइन वेबसाइट पर उपलब्ध है।

जिसका लाभ आवेदक रोजगार कार्यालयों मे उपस्थित होकर अथवा किसी अन्य इंटरनेट सुविधा प्रदाता के समक्ष निर्धारित वेबसाइट पर पंजीयन कर सकता है, कार्यालय के अतिरिक्त अन्य स्थान से पंजीयन कराने पर आवेदक को 15 दिवसो के भीतर अभिलेख के साथ रोजगार कार्यालयों में दस्तावेज के सत्यापन के लिए उपस्थित होना होगा।

- **नवीनीकरण** :– कार्यालय में पूर्व से पंजीकृत आवेदकों के पंजीयन रिकार्ड का नवीनीकरण पंजीयन माह के तीन वर्ष पश्चात किया जाता है। नवीनीकरण के लिए आवेदक को निर्धारित माह के अतिरिक्त 2 माह का अतिरिक्त समय ग्रेस पीरिएड के रूप में प्रदान किया जाता है। यदि उक्त समयावधि में आवेदक स्वयं या उनके द्वारा अधिकृत व्यक्ति के माध्यम से अपने पंजीयन पहचान पत्र की मूल प्रति के साथ कार्यालय में संपर्क नहीं करता है तो उसका पंजीयन ग्रेस माह की अतिम तिथि के पश्चात् स्वमेव निरस्त हो जाता है। आवेदकों को वर्तमान मे नवीनीकरण हेतु ऑनलाइन सुविधा वेबसाइट पर उपलब्ध है, जहां आवेदक स्वयं लॉगइन द्वारा कार्यालय में आये बिना ही नवीनीकरण सुविधा का लाभ ले सकता है।
- **व्यावसायिक मार्गदर्शन** :– रोजगार कार्यालय द्वारा रोजगार सहायता के लिए संपर्क करने वाले आवेदकों को सतत व्यावसायिक मार्गदर्शन प्रदान किया जाता है। जिसके अंतर्गत इच्छुक आवेदकों को व्यक्तिगत सूचना, व्यक्तिगत मार्गदर्शन, पंजीयन मार्गदर्शन, सामूहिक परिचर्चा इत्यादि के माध्यम से रोजगार बाजार की नवीनतम जानकारी उपलब्ध कराई जाती है ये जानकारियां कार्यालय में सामूहिक परिचर्चा, कैरियर वार्ता, कैरियर सम्मेलन और प्रदर्शनी के माध्यम से सतत रूप से प्रदान की जाती है। इसके अतिरिक्त जिले के विभिन्न शैक्षणिक संस्थान के प्रमुख अनुरोध पर कैरियर परिचर्चा, कैरियर वार्ता और कैरियर सम्मेलन आयाजित किए जाते हैं ।
- **रोजगार बाजार सूचना** :– रोजगार कार्यालय जिले के रोजगार बाजार सबंधी सूचनाओं को एकत्र कर जिले में विभिन्न नियोजन में आवश्यक श्रम शक्ति का अनुमान लगाता है तथा रोजगार कार्यालय (रिक्तियों की अनिवार्य अधिसूचना अधिनियम 1959) के प्रावधानों के अंतर्गत इन सूचनाओं को एकत्र कर उन्हें महानिदेशालय, रोजगार एवं प्रशिक्षण, नई दिल्ली को उपलब्ध कराता है जिनके उपयोग केंद्र एवं राज्य सरकारों द्वारा अपनी विभिन्न योजनाओं को तैयार करने में उपयोग में लाई जाती है। रोजगार बाजार सूचना एकत्रित करने के लिए अधिनियम के अंतर्गत रोजगार अधिकारी एवं अन्य प्राधिकृत अधिकारी जिले के नियोजकों कें अभिलेखों का निरीक्षण कर सकते है।

- **रोजगार मेला/प्लेसमेंट केम्प का आयोजन**:– प्रदेश के बेरोजगारों को रोजगार उपलब्ध कराना छत्तीसगढ़ शासन की सर्वदा सर्वोच्च प्राथमिकता रही है। शासकीय नौकरियों की अपनी सीमा है, जो समस्त बेरोजगारों के लिए पूर्ण नहीं है। ऐसी परिस्थिति में निजी क्षेत्र ही सर्वश्रेष्ठ विकल्प हो सकता है। रोजगार के 92 प्रतिशत अवसर निजी क्षेत्र में ही उपलब्ध है, क्योंकि राज्य स्थापना के उपरांत बड़ी संख्या में औद्योगिक एवं सेवा प्रतिष्ठानों की स्थापना इस प्रदेश में हुई है, जहां बड़ी संख्या में रोजगार के अवसर उत्पन्न हुए हैं। निजी क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए प्रदेश सरकार ने नई औद्योगिक नीति में स्थानीय युवाओं के लिए विशेष प्रावधान भी किये हैं।

निजी क्षेत्रों मे रोजगार के उपलब्ध अवसरों का लाभ स्थानीय युवाओं को प्रदान करने के शासन की मंशा को कार्यरूप में परिणित करने, प्रदेश के जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केन्द्रों द्वारा निजी क्षेत्र के प्रतिष्ठानों में उपलब्ध रिक्तियों को स्थानीय युवाओं हेतु उपलब्ध कराने का प्रयास किया जा रहा है। इस अभिनव कार्यक्रम को रोजगार मेला/प्लेसमेंट केम्प के नाम से सम्पूर्ण प्रदेश में जाना जाता है।

- **सैन्यभर्ती रैली**

  छत्तीसगढ शासन के दूरदर्शी नीति के फलस्वरूप भारतीय सैन्य बलों, अर्धसैनिक बलों हेतु भर्ती रैली का आयोजन छत्तीसगढ में किया जा रहा है। छत्तीसगढ शासन ने राज्य के युवाओं की भागीदारी भारतीय सैन्य बलों में बढाने के उद्देश्य से एक विस्तृत कार्य योजना तैयार की है। शासन द्वारा रोजगार विभाग को आवश्यक बजट उपलब्ध करवाकर भारतीय सैन्य बलों की भर्ती रैली के सफल आयोजन एवं उन रैलियों में राज्य के युवाओं की सहभगिता सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक प्रचार प्रसार एवं भर्ती पूर्व प्रशिक्षण की व्यवस्था रोजगार विभाग के माध्यम से की जाती है। इसका सुपरिणाम राज्य के युवाओं के चयन में निरंतर वृद्वि के रूप में स्पष्ट परिलक्षित हो रहा है।

- **छत्तीसगढ लोक सेवा गारंटी अधिनियम**

  रोजगार विभाग के अंतर्गत लोक सेवा गांरटी अधिनियम के अधीन कुल 08 सेवायें क्रमशः पंजीयन, पंजीयन का नवीनीकरण, नियोक्ता द्वारा साक्षात्कार की सूचना, आवेदक का अतिरिक्त योग्यता दर्ज करना तथा द्वितीय पंजीयन पहचान पत्र बनाना, आवेदक को व्यक्तिगत जानकारी उपलब्ध कराना, निःशक्तजन आवेदक की अतिरिक्त योग्यता दर्ज करना, द्वितीय पंजीयन पहचान पत्र बनाना, रोजगार कार्यालय से संबधित शिकायतों का निराकरण, रोजगार कार्यालय से संबंधित निःशक्तजनों से प्राप्त शिकायतों की जाँच एवं निराकरण की जानकारी करना शामिल है।

5. कृत्यों के निर्वहन के लिए स्थापित मानक/नियम

राज्य शासन द्वारा समय–समय पर दिये गये निर्देशों एवं प्रक्रियाओं के अनुसार कार्य किये जाते हैं ।

6. कृत्यों के निर्वहन हेतु नियम, विनियम, अनुदेश, निर्देशिका और अभिलेख :–

संचालनालय एवं मैदानी कार्यालयों से सूचना के अधिकार के अंतर्गत निम्नलिखित अभिलेखों की छायाप्रतियां शासन द्वारा निर्धारित शुल्क देकर प्राप्त किए जा सकते हैं :–

1. प्रदेश की रोजगार सेवा के कार्य महानिदेशालय, रोजगार एवं प्रशिक्षण, भारत सरकार द्वारा प्रकाशित राष्ट्रीय रोजगार सेवा पुस्तिका के प्रावधानों द्वारा निर्धारित किये जाते हैं।
2. रोजगार सेवा संगठन के अधिकारी/कर्मचारियों से संबंधित अभिलेखों की छायाप्रतिया।
3. रोजगार सेवा सगंठन के कार्यालयों मे संधारित लेखा सबंधी समस्त अभिलेखो की छायाप्रतिया।

संचालनालय एवं मैदानी कार्यालयों से अभिलेखों की प्राप्ति हेतु दूरभाष एवं मेल पते वेबसाइट पर उपलब्ध हैं।

7 लोकप्राधिकारी के पास या उनके नियंत्रण में उपलब्ध दस्तावेजों का प्रवर्गों के अनुसार विवरण :–

संचालनालय स्तर पर

क्र.	प्रवर्ग	दस्तावेज का नाम एवं परिचय	दस्तावेज प्राप्त करने के लिए प्रक्रिया	धारक नियंत्रणाधीन
1	स्थापना	संचालनालय के कर्मचारियों से संबंधित दस्तावेज	आवेदन द्वारा	संयुक्त संचालक
2	लेखा	संचालनालय के लेखा संधारण संबंधी दस्तावेज	आवेदन द्वारा	संयुक्त संचालक
3	रोजगार बाजार सूचना	मैदानी कार्यालयों से प्राप्त रोजगार बाजार सूचना संबंधी दस्तावेज	आवेदन द्वारा	संयुक्त संचालक
4	स्थापना	मैदानी कार्यालयों के कर्मचारियों से संबंधित दस्तावेज जो संचालनालय में संधारित किए जाते हैं	आवेदन द्वारा	संयुक्त संचालक
5	लेखा	मैदानी कार्यालयों से प्राप्त लेखा संबंधी दस्तावेज	आवेदन द्वारा	संयुक्त संचालक

मैदानी स्तर पर

क्र.	प्रवर्ग	दस्तावेज का नाम एवं परिचय	दस्तावेज प्राप्त करने के लिए प्रक्रिया	धारक नियंत्रणाधीन
1	स्थापना	कार्यालय के कर्मचारियों से संबंधित दस्तावेज	आवेदन द्वारा	कार्यालय प्रमुख उपसंचालक/जिला रोजगार अधिकारी
2	लेखा	कार्यालय के लेखा संधारण संबंधी दस्तावेज	आवेदन द्वारा	कार्यालय प्रमुख उपसंचालक/जिला रोजगार अधिकारी
3	रोजगार बाजार सूचना	जिले के रोजगार बाजार सूचना संबंधी दस्तावेज	आवेदन द्वारा	कार्यालय प्रमुख उपसंचालक/जिला रोजगार अधिकारी
4	स्थापना	कर्मचारियों से संबंधित दस्तावेज जो कार्यालय में संधारित किए जाते हैं	आवेदन द्वारा	कार्यालय प्रमुख उपसंचालक/जिला रोजगार अधिकारी
5	लेखा	कार्यालयों से संबंधित लेखा संबंधी दस्तावेज	आवेदन द्वारा	कार्यालय प्रमुख उपसंचालक/जिला रोजगार अधिकारी
6	रोजगार सेवा के कार्य	जीवित पंजी में उपलब्ध आवेदकों के अभिलेख एवं नियोजकों को रिक्त पद के विरूद्ध प्रेषित की गयी आवेदकों की सूची तथा चयन योजना	आवेदन द्वारा	कार्यालय प्रमुख उपसंचालक/जिला रोजगार अधिकारी

8 नीति निर्धारण व कार्यान्वयन के संबंध में जनता या जनप्रतिनिधि से परामर्श के लिए बनाई गई व्यवस्था का विवरण :—

इस प्रकार की कोई व्यवस्था रोजगार सेवा संगठन में नहीं है ।

9 बोर्ड, परिषदों, समितियों एवं अन्य निकायों का विवरण

प्रदेश के रोजगार सेवा संगठन के अधीनस्थ कोई बोर्ड परिषद, समिति इत्यादि कार्यरत नहीं है

10 अधिकारियों एवं कर्मचारियों की निर्देशिका

प्रदेश के रोजगार सेवा संगठन में कार्यरत अधिकारी/कर्मचारियों की डायरेक्ट्री वेबसाइट पर उपलब्ध है।

11 प्रत्येक अधिकारी और कर्मचारी द्वारा प्राप्त मासिक पारिश्रमिक और उसके निर्धारण की पद्धति

प्रदेश के रोजगार सेवा सगंठन में कार्यरत अधिकारी/कर्मचारियों की डायरेक्ट्री वेबसाइट पर उपलब्ध है।

12. प्रत्येक अभिकरण, व्यय प्रस्तावों तथा धन वितरण की सूचना

राशि लाख रूपयों में

वित्तीय वर्ष 2021–22 हेतु प्रावधानित राशि एवं जून 2021 तक व्यय			
मद	वर्ष 2021–22 में प्रावधानित बजट	जून 2021 तक व्यय	व्यय का प्रतिशत
आयोजना			
मांग संख्या–41			
स्थापना व्यय नारायणपुर /बीजापुर (9147)	74.03	17.47	23.60%
स्थापना व्यय अध्यापन सह मार्गदर्शन केन्द्र (5911)	23.59	5.53	23.44%
युवा क्षमता विकास योजना (अनुसूचित जनजाति) (7632)	100.00	0.00	0.00%
योग 41	197.62	23.00	11.64%
मांग संख्या–47			
संचालनालय स्थापना व्यय (3795)	246.80	45.87	18.59%
रोजगार कार्यालय स्थापना व्यय (9147)	1311.10	331.25	25.27%
रोजगार मेला (9147)	100.00	0.76	0.76%
सैन्य भर्ती रैली (9147)	64.00	0.22	0.34%
माडल करियर सेन्टर (0801)	31.60	0.00	0.00%
मिशन मोड प्रोजेक्ट (0801)	85.40	0.00	0.00%
युवा क्षमता विकास योजना (सामान्य, पिछडा वर्ग) (7632)	300.00	0.00	0.00%
योग 47	2138.90	378.10	17.68%
64–2230–0803–9147 अनूसूचित जाति उपयोजना	**22.00**	**0.00**	
युवा क्षमता विकास योजना (अनुसूचित जाति) (7632)	60.00	0.00	0.00%
योग 64	82.00	0.00	0.00%
महायोग	2418.52	401.10	16.58%

13. रियायतों, अनुज्ञापत्रों तथा प्राधिकारों के प्राप्तिकर्ताओं के संबंध में विवरण

रोजगार सेवा संगठन द्वारा किसी प्रकार की रियायत, अनुज्ञापन, परमिट आदि प्रदान नहीं किया जाता ।

14 इलेक्ट्रानिक रूप में उपलब्ध सूचनायें

वर्तमान मे इलेक्ट्रानिक रूप मे सूचना उपलब्ध कराने की सुविधा विभागीय के माध्यम से उपलब्ध है ।

15 सूचना प्राप्त करने के लिए नागरिकों को उपलब्ध सुविधाओं का विवरण

ये सभी सूचनाएं रोजगार सेवा संगठन के कार्यालयों मे अभिलेख के रूप में तथा विभागीय वेबसाइट पर आम जनता के लिए उपलब्ध है।

16. लोक सूचना अधिकारियों के नाम, पद्नाम एवं अन्य विशिष्टियॉ

प्रदेश के रोजगार सेवा संगठन के अंतर्गत सीपित विभिन्न कार्यालयो में कार्यरत जनसूचना अधिकारियों से संबंधित जानकारी निम्न तालिका में दी गई है।

लोक प्राधिकारियों की सूची

क्र.	लोक प्राधिकारी का नाम	एस.टी.डी. कोड	कार्यालय का दूरभाष
1	संचालक, संचालनालय रोजगार एवं प्रशिक्षण, छत्तीसगढ़, रायपुर	0771	2331341
2	उपसंचालक, रोजगार, जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केन्द्र, अंबिकापुर	07774	230767
3	उपसंचालक, रोजगार, जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केन्द्र, बिलासपुर	07752	260130
4	उपसंचालक, रोजगार, जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केन्द्र, '' प्रवर्तन कक्ष'' बिलासपुर	07752	260130
5	रोजगार अधिकारी, जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केन्द्र, बीजापुर	07853	220025
6	उपसंचालक, रोजगार, जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केन्द्र, दुर्ग	0788	2323504
7	रोजगार अधिकारी, जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केन्द्र, धमतरी	07722	230019
8	रोजगार अधिकारी, जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केन्द्र, दंतेवाड़ा	07856	252520
9	उपसंचालक, रोजगार, जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केन्द्र, जगदलपुर	07782	264376
10	उपसंचालक, रोजगार, जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केन्द्र, '' प्रवर्तन कक्ष'' जगदलपुर	07782	264376
11	रोजगार अधिकारी, अध्यापन सह–मार्गदर्शन केन्द्र, जगदलपुर	07782	264376
12	रोजगार अधिकारी, जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केन्द्र, जांजगीर–चांपा	07817	223433
13	रोजगार अधिकारी, जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केन्द्र, जशपुर	07763	220498
14	रोजगार अधिकारी, जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केन्द्र, उत्तर बस्तर कांकेर	07868	222417
15	रोजगार अधिकारी, जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केन्द्र, कोरबा	07759	230102
16	रोजगार अधिकारी, जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केन्द्र, कबीरधाम	07741	232990

क्र.	लोक प्राधिकारी का नाम	एस.टी.डी. कोड	कार्यालय का दूरभाष
17	रोजगार अधिकारी, जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केन्द्र, मनेन्द्रगढ़ (कोरिया)	07771	243484
18	रोजगार अधिकारी, जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केन्द्र, महासमुंद	07723	223625
19	रोजगार अधिकारी, जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केन्द्र, नारायणपुर	07781	252897
20	उपसंचालक, रोजगार, जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केन्द्र, रायपुर,	0771	2582862
21	उपसंचालक, रोजगार, जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केन्द्र, ''प्रवर्तन कक्ष'' रायपुर,	0771	2582862
22	रोजगार अधिकारी, जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केन्द्र, रायगढ	07762'	223042
23	उपसंचालक, रोजगार, जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केन्द्र, राजनांदगांव	07744	222412
24	रोजगार अधिकारी, जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केन्द्र, बालोद	07749	223916
25	रोजगार अधिकारी, जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केन्द्र, बेमेतरा	07824	222665
26	रोजगार अधिकारी, जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केन्द्र, बलरामपुर	07831	273085
27	रोजगार अधिकारी, जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केन्द्र, बलोदाबाजार	07727	222143
28	रोजगार अधिकारी, जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केन्द्र, गरियाबन्द	07706	241269
29	रोजगार अधिकारी, जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केन्द्र, कोण्डागांव	07786	242773
30	रोजगार अधिकारी, जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केन्द्र, मुंगेली	07755	264170
31	रोजगार अधिकारी, जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केन्द्र, सूरजपुर	07775	296115
32	रोजगार अधिकारी, जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केन्द्र, सुकमा	07864	284074
33	उपसंचालक, रोजगार विशेष रोजगार कार्यालय (निःशक्तजन के नियोजन हेतु), रायपुर	0771	4044081
34	रोजगार अधिकारी, जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केन्द्र, गौरेला–पेण्ड्रा–मरवाही	–	–

लोक सूचना अधिकारी

क्र.	कार्यालय का नाम एवं पता	लोक सूचना अधिकारी का नाम		दूरभाष जानकारी			ईमेल
		नाम	पदनाम	एस. टी. डी. कोड	कार्यालय का दूरभाष	मोबाइल	
1	संचालनालय रोजगार एवं प्रशिक्षण, छत्तीसगढ़, रायपुर	श्री आनंद कुमार	उपसचालक, रोजगार	0771	2331342	9425595604	employmentcg@ gmail.com
2	जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केन्द्र, अंबिकापुर	श्री एस. पी. त्रिपाठी	उपसंचालक, रोजगार,	07774	230767	9406224100	employmentofficeamb@ rediffmail.com
3	जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केन्द्र, बिलासपुर	श्री ए.सी. पहारे	उपसंचालक, रोजगार,	07752	260130	9425223300	employment_bsp@ rediffmail.com mcc-bilaspur.cg@gov.in
4	जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केन्द्र, '' प्रवर्तन कक्ष'' बिलासपुर	श्री पीटर सुमन तिग्गा	उपसंचालक, रोजगार	07752	260130	9009572045	employment_bsp@ rediffmail.com mcc-bilaspur.cg@gov.in
5	जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केन्द्र, बीजापुर	श्री हृषिकेश सिंह सिदार	रोजगार अधिकारी	07853	220025	9399940154	eexchange.bijapur @gmail.com
6	जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केन्द्र, दुर्ग	श्री राजकुमार कुर्रे	उपसंचालक, रोजगार	0788	2323504	9407610778	ddirempdurg041 @gmail.com
7	रोजगार अधिकारी, जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केन्द्र, धमतरी	श्रीमती पुष्पा चौधरी	उपसंचालक (अतिरिक्त प्रभार)	07722	230019	9993849490	empdhamtari @gmail.com
8	जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केन्द्र, दंतेवाड़ा	श्री जयप्रकाश	उपसंचालक (अतिरिक्त प्रभार)	07856	252520	9981742727	deodantewada @rediffmail.com employment.dantewada @gmail.com
9	जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केन्द्र, जगदलपुर	श्री आर. पी. नेताम	उपसंचालक	07782	264376	7697921847	cgcjagdalpur @gmail.com
10	जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केन्द्र, '' प्रवर्तन कक्ष'' जगदलपुर	श्री जयप्रकाश	उपसंचालक, रोजगार	07782	264376	9981742727	enforcementcelljdp @gmail.com
11	अध्यापन सह–मार्गदर्शन केन्द्र, जगदलपुर	श्री आर. पी. नेताम	उपसंचालक (अतिरिक्त प्रभार)	07782	264376	7697921847	cgcjagdalpur @gmail.com
12	जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केन्द्र, जांजगीर–चांपा	सुश्री चारू चित्रा साय	रोजगार अधिकारी	07817	223433	7771838174	empexchangejanjgir @gmail.com
13	रोजगार अधिकारी, जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केन्द्र, जशपुर	सुश्री दुर्गेश्वरी सिंह	रोजगार अधिकारी	07763	220498	9770475157	deojashpur@bsnl.in deojashpur@yahoo.in
14	रोजगार अधिकारी, जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केन्द्र, उत्तर बस्तर कांकेर	श्री बी.आर. ठाकुर	रोजगार अधिकारी	07868	222417	9425516288	employment.knk @gmail.com

क.	कार्यालय का नाम एवं पता	लोक सूचना अधिकारी का नाम		दूरभाष जानकारी			ईमेल
		नाम	पदनाम	एस. टी. डी. कोड	कार्यालय का दूरभाष	मोबाइल	
15	जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केन्द्र, कोरबा	श्री जे. पी. खाण्डे	रोजगार अधिकारी	07759	230102	9165156998	empexchangekorba @gmail.com
16	जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केन्द्र, कबीरधाम	श्री प्रमोद कुमार	रोजगार अधिकारी	07741	232990	9425275006	empkabirdham@ gmail.com
17	जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केन्द्र, मनेन्द्रगढ़ (कोरिया)	श्री एस. के. भार्वे	रोजगार अधिकारी,	07771	243484	9406462563	empofficemdgr@ gmail.com
18	जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केन्द्र, महासमुंद	श्री ए.ओ. लारी	उपसंचालक (अतिरिक्त प्रभार)	07723	223625	9406346840	mahasamund.employment @gmail.com deomaha1999 @gmail.com
19	जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केन्द्र, नारायणपुर	श्री पवन कुमार नेताम	रोजगार अधिकारी, (अतिरिक्त प्रभार)	07781	252897	9479007011	kishorksahu81 @gmail.com
20	जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केन्द्र, रायपुर,	श्री ए.ओ. लारी	उपसंचालक, रोजगार	0771	2582862	9406346840	employmentexchange. raipur@yahoo.com
21	उपसंचालक, रोजगार, जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केन्द्र, ''प्रवर्तन कक्ष'' रायपुर,	श्रीमती पुष्पा चौधरी	उपसंचालक, रोजगार	0771	2582862	9993849490	employmentexchange. raipur@yahoo.com
22	रोजगार अधिकारी, जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केन्द्र, रायगढ	श्री रामजीत राम	रोजगार अधिकारी	07762'	223042	9424184279	eeraigarh@gmail.com
23	उपसंचालक, रोजगार, जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केन्द्र, राजनांदगांव	श्री एस.व्ही. राजौरिया	उपसंचालक, रोजगार	07744	222412	9301055918	eerajnandgaon @gmail.com
24	रोजगार अधिकारी, जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केन्द्र, बालोद	श्री एस.व्ही. राजौरिया	उपसंचालक (अतिरिक्त प्रभार)	07749	223916	9301055918	deobalod223@gmail.com
25	रोजगार अधिकारी, जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केन्द्र, बेमेतरा	श्री राजकुमार कुर्रे	उपसंचालक (अतिरिक्त प्रभार)	07824	222665	9407610778	deobemetara @gmail.com
26	रोजगार अधिकारी, जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केन्द्र, बलरामपुर	श्री दिवाकर लाल टांडिया	रोजगार अधिकारी	07831	273085	8319778709	employmentbalrampur @gmail.com
27	रोजगार अधिकारी, जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केन्द्र, बलोदाबाजार	सुश्री मनोरमा भगत	रोजगार अधिकारी (अतिरिक्त प्रभार)	07727	222143	9009962186	employmentexchange. balodabazar@gmail.com

क्र.	कार्यालय का नाम एवं पता	लोक सूचना अधिकारी का नाम		दूरभाष जानकारी			ईमेल
		नाम	पदनाम	एस. टी. डी. कोड	कार्यालय का दूरभाष	मोबाइल	
28	रोजगार अधिकारी, जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केन्द्र, गरियाबन्द	के. एन. साहू	रोजगार अधिकारी	07706	241269	9329085440	employmentexchang. gariaband@gmail.com
29	रोजगार अधिकारी, जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केन्द्र, कोण्डागांव	श्री पवन कुमार नेताम	रोजगार अधिकारी	07786	242773	9479007011	employmentkondagaon @rediffmail.com
30	रोजगार अधिकारी, जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केन्द्र, मुंगेली	श्री व्ही. के. केडिया	रोजगार अधिकारी	07755	264170	9425517119	empmungeli @gmail.com
31	जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केन्द्र, सूरजपुर	श्री एम. आर. जायसवाल	रोजगार अधिकारी	07775	296115	9424252156	deosurajpur2014 @gmail.com
32	जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केन्द्र, सुकमा	श्री रामचरण ध्रुव	रोजगार अधिकारी	07864	284074	9302474164	emplsukma @gmail.com
33	विशेष रोजगार कार्यालय (निःशक्तजन के नियोजन हेतु), रायपुर	डॉ. श्रीमती शशीकला अतुलकर	उपसंचालक, रोजगार	0771	4044081	9826197314	specialofficeryp @gmail.com
34	जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केन्द्र, गौरेला– पेण्ड्रा–मरवाही	श्री पीटर सुमन तिग्गा	उपसंचालक, रोजगार (अतिरिक्त प्रभार)	–	–	9009572045	empgpm@gmail.com

विभागीय अपीलीय अधिकारी

क्र.	नाम	पदनाम	एस. टी.डी. कोड	दूरभाष		ईमेल	पता
				कार्यालय का दूरभाष	मोबाइल		
1	श्री अवनीश कुमार शरण	सचांलक	0771	2331341	9479118118	dte.raipur.cg@gmail.com	संचालनालय रोजगार एवं प्रशिक्षण, नवा रायपुर अटल नगर
2	श्री आनंद कुमार	उपसंचालक, रोजगार	0771	2331342	9425595604	employmentcg@ gmail.com	संचालनालय रोजगार एवं प्रशिक्षण, नवा रायपुर अटल नगर

16: अन्य उपयोगी जानकारियाँ

- सूचना प्राप्त करने के संबंध में– विभाग से संबंधित अन्य उपयोगी जानकारी विभागीय वेबसाइट पर देखी जा सकती है।
- सूचना प्राप्त करने के लिए शुल्क–
  शासन द्वारा निर्धारित शुल्क प्रदाय कर सूचना प्राप्त की जा सकती है।